

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि/नरेगा/वाकायो 14-15/2013

जयपुर, दिनांक : 25 JUL 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वार्षिक  
कार्ययोजना एवं श्रम बजट 2014-15 के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट का निर्माण किया जाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पूर्व वर्ष के दिसम्बर माह तक प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश 2013 जारी किये गये हैं, जिसके अध्याय-6 में वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार किए जाने की प्रक्रिया विस्तृत रूप से बतायी गयी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देशों में वार्षिक कार्य योजना बनाने हेतु प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके अनुसार 15 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन किया जाकर वार्षिक कार्य योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाकर 1 दिसम्बर तक जिला पंचायत स्तर तक जिले की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन कराया जाना तय किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2013 के प्रावधानानुसार वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2014-15 के निर्माण के संबन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. चूंकि एक ही दिन सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पायेगा, अतः 01 अगस्त, 2013 से 15 अगस्त, 2013 तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाकर वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत स्तर से अनुमोदित की जावे। इस हेतु विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम सभाओं की तिथि निर्धारित करते हुए 30 जुलाई, 2013 तक कलैण्डर तैयार किया जावे।
2. ग्राम सभा के लिए व्यापक एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाये। प्रचार-प्रसार द्वारा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
3. ग्राम सभा की तिथि से सभी जनप्रतिनिधियों यथा माननीय सांसद, विधायक, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य, पंच को अवगत कराया जाये।
4. सभी जनप्रतिनिधिगणों एवं विभागों को यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन हो जाने के उपरान्त कोई भी नया कार्य वित्तीय वर्ष 2014-15 में जोड़ा जाना अथवा कराया जाना संभव नहीं होगा।

5. सर्वप्रथम वार्षिक कार्य योजना में पूर्व वर्षों के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु सम्मिलित किये जावें। तत्पश्चात ऐसे कार्य जो कि पूर्व की अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित हैं परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं एवं कार्य कराये जाने आवश्यक समझे जाये, को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जाये।
6. श्रम सामग्री का अनुपात 60:40 प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना आवश्यक है अर्थात् किसी भी ग्राम पंचायत पर सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।
7. वार्षिक कार्य योजना 2014-15 को बनाते समय यह ध्यान रखा जावे कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में हुए वास्तविक व्यय तथा 2013-14 के अनुमानित व्यय से लगभग दो गुणे से अधिक की लागत के कार्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित नहीं किये जावें। यह सीमा ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद स्तर तक लागू की जायें।
8. योजनान्तर्गत अनुमत कार्य, अधिनियम के अन्तर्गत कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर ही वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जाये।
9. कार्य तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक होने चाहिये।
10. दिशा निर्देश 2013-14 में दी गई समय सीमा के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जावे जो कि निम्नानुसार है :-

| तारीख      | की जाने वाली कार्यवाही                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 अगस्त   | ग्राम सभा ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करेगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगी। |
| 15 सितम्बर | कार्यक्रम अधिकारी समेकित ग्राम पंचायत योजनाओं को ब्लॉक पंचायत में प्रस्तुत करेगा।                               |
| 2 अक्टूबर  | ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक वार्षिक योजना को अनुमोदित करेगी और उसे जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास प्रस्तुत करेगी।        |
| 15 नवम्बर  | जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत में जिला वार्षिक योजना और श्रम बजट प्रस्तुत करेगा।                           |
| 1 दिसम्बर  | जिला पंचायत जिला वार्षिक योजना को अनुमोदित करेगी।                                                               |
| 15 दिसम्बर | जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजनाओं की सूची तैयार है।          |

श्रम बजट बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाये एवं व्यापक प्रशिक्षण देकर ही ग्राम सभाओं का आयोजन किया जावे।

1. केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप श्रम बजट के लिए 4 मुख्य बिन्दुओं की आवश्यकता है - परिवारों की संख्या जिन्हे रोजगार उपलब्ध कराया जाना है, सृजित किये जाने वाले मानव दिवसों की संख्या, योजनान्तर्गत होने वाला मजदूरी भुगतान तथा सामग्री भुगतान (राशि रु. लाखों में)।
2. श्रम बजट माहवार एवं संचयी रूप से तैयार किया जाना है।
3. श्रम बजट तैयार किए जाते समय वर्ष 2010-11 से एम.आई.एस. पर उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों के आंकलन के आधार पर तैयार किया जाये ताकि वित्तीय वर्ष 2014-15 का श्रम बजट का आंकलन वास्तविकता के नजदीक रहे।

4. वार्षिक कार्य योजना के साथ-साथ श्रम बजट भी तीनों स्तरों – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है एवं ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण में यह उल्लेख आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाये कि वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2014-15 का अनुमोदन किया जाता है।
5. ग्राम सभा की संक्षिप्त कार्यवाही विवरण जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2014-15 का अनुमोदन किया जाता है, को योजना की अधिकृत वेबसाईट **nrega.nic.in** पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। साथ ही ग्राम पंचायतवार श्रम बजट को भी उक्त वेबसाईट पर आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना है। यह ध्यान रखा जाये कि श्रम बजट ग्राम पंचायतवार ही अपलोड किया जाना है, पंचायत समिति एवं जिला का श्रम बजट स्वतः ही तैयार हो जायेगा।
6. अनुमोदित श्रम बजट ऊपर दिए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर आवश्यक रूप से एम.आई.एस. पर अपलोड किया जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावें एवं आपके स्तर पर नियमित रूप से मॉनीटरिंग कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2014-15 समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार ही तैयार किया जा रहा है।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, अधिशाषी अभियन्ता (नरेगा), विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अभियन्ता (नरेगा) पंचायत समिति तथा अन्य संबंधित से यह अपेक्षा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2013 के अध्याय-6 का भली भांति अध्ययन किया जावे।

भवदीय



(कुलदीप रांका)  
आयुक्त एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर/जोधपुर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत समिति समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस